राजस्थान सरकार
देवस्थान वक्फ एवं सैनिक कल्याण विभाग

निदेशक,
सैनिक कल्याण विभाग,
जयपुर ।

क्रमांक: 2(1)सै•क•/99 जयपुर, दिनांक: 5-12-2000

विषय:-कारगिल युद्ध में शहीद आश्रित को नियोजन बाबत ।

संदर्भ :-आपका पत्र सं0 8612-14 दिनांक 28-11-2000•

--

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत कार्मिक (क-2) विभाग द्वारा जारी परिपत्र सं0 10(3)कार्मिक/क-2/75/पार्ट दिनांक 30-10-2000 की प्रति संलग्न कर निदेशानुसार लेख है कि उपरोक्त जारी परिपत्र के अनुसार अन्तराष्ट्रीय सीमा या वास्तविक नियंत्रण रेखा/नियंत्रण रेखा पर संघर्ष के दौरान मृत / स्थाई रूप से अशक्त सशस्त्र बल सेवा कार्मिकों/पैरा मिलिट्री कार्मिकों के आश्रितों को नियमानुसार नियुक्ति प्रदान करने के लिए अब कार्मिक विभाग एवं वित्त विभाग की पूर्वानुमति आवश्यक नहीं होगी ।

अत: कृपया उपरोक्त परिपत्र अनुसार कार्यवाही करते हुए शहीद सैनिकों के आश्रितों को नियोजन दिलाने की क्रियान्विति त्वरित गति से की जाने का श्रम करें ।

संलग्न: उपरोक्तानुसार

भवदीय,

उप शासन सचिव

6785
8/12

प्रतिलिपि निम्न को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1- समस्त जिला कलक्टर्स ।
2- नोडल अधिकारी, सैनिक कल्याण विभाग (अतिरिक्त जिला कलक्टर)
3- समस्त जिला सैनिक कल्याण अधिकारी ।

कुन्दनजी

उप शासन सचिव